रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 459] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 11, 2019/अग्रहायण 20, 1941
No. 459] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 11, 2019/AGRAHAYANA 20, 1941

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

अधिसूचना

बड़ौदा, 11 दिसम्बर, 2019

सं. प्रका:मासप्र:111.—बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ़ बड़ौदा का निदेशक मंडल भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतदद्वारा बैंक ऑफ़ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियमन, 1976/1982 में परिवर्तन हेतु निम्नलिखित विनियमन में निम्नानुसार संशोधन करता है :-

1. इस विनियमन को **बैंक ऑफ़ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) संशोधित विनियमन, 2019** कहा जाएगा ।

2. ये विनियमन शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

3. बैंक ऑफ़ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियमन, 1976/1982 में तथा इसके बाद समय-समय पर जारी सभी अधिसूचनाओं/ परिपत्रों में, जहां भी विनियम 6(3) का प्रयोग किया गया है, उसे संशोधित माना जाएगा और निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:-

   "जहां किसी प्रकार की जांच प्रस्तावित की जाती है, वहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी अधिकारी कर्मचारी के विरूद्ध लगाए गए आरोपों और आरोप संबंधी अंतर्नियमों, आरोपों के विवरण, संबंधित दस्तावेजों की सूची सहित उनकी प्रतियां और गवाहों की सूची, यदि कोई हो, जिन पर वे निर्भर हों, के आधार पर आरोपों को पुख्ता और स्पष्ट रूप से तैयार करेगा और उन्हें संबंधित अधिकारी कर्मचारी को लिखित रूप में दिया जाएगा. संबंधित अधिकारी कर्मचारी को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर (अधिकतम 15 दिनों में) या उस प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त समयसीमा के भीतर अपने बचाव में एक लिखित बयान प्रस्तुत करना होगा ।

   बशर्ते किसी भी स्थिति में अपने बचाव में लिखित बयान देने के लिए समयावधि आरोप पत्र की प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों से अधिक नहीं होगी:

4. समय-समय पर यथा-शोधित बैंक ऑफ़ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियमन, 1976/1982 में उप-विनियम 6(21) (ii) के बाद उप-विनियम 6(21) (iii) को निम्नानुसार शामिल किया जाए:-

क) जांचकर्ता प्राधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति का आदेश प्राप्त करने की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर जांचकर्ता प्राधिकारी जांच पूरी करेंगे और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

ख) यदि बिन्दु (क) में विनिर्दिष्ट समय सीमा का पालन किया जाना संभव नहीं है तो जांचकर्ता प्राधिकारी को इसका कारण बताना होगा और अनुशासनात्मक प्राधिकारी से लिखित में अतिरिक्त समय मांगना होगा, जो जांच को पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय की अनुमति देंगे और जो एक बार में छह माह से अधिक की नहीं होगी ।

ग) अतिरिक्त समय की अनुमति, जो एक बार में छह माह से अधिक की नहीं होगी, किसी उचित और पर्याप्त कारण पर ही दी जाएगी और अनुशासनात्मक प्राधिकारी अथवा अनुशासनात्मक प्राधिकारी की ओर से प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा इसका लिखित में उल्लेख किया जाएगा ।

सी. मालोलन, प्रमुख (मानव संसाधन परिचालन)

[विज्ञापन III/4/असा./348/19]

टिप्पणी: मूल विनियमन भारत के राजपत्र में दिनांक 01.10.1976 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और बाद में किए गए संशोधनों को भारत के राजपत्र में निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है:-

अधिसूचना / परिपत्र सं.	**दिनांक**
सीओ:बीआर:72/125 (दिनांक: 10.06.1980)	-
सीओ:बीआर:72/111 (दिनांक: 15.05.1980)	-
सीओ:बीआर:85/29 (दिनांक: 23.02.1993)	-
सीओ:बीआर:90/113 (दिनांक: 23.07.1998)	-
सीओ:बीआर:91/32 (दिनांक: 17.03.1999)	-
सीओ:बीआर:93/206 (दिनांक: 22.11.2001)	29.09.2001
सीओ:बीआर:94/216 (दिनांक: 12.09.2002)	13.07.2002
बीसीसी:एचआरएम:आईएल:101/6332(दिनांक: 28.05.2009)	-
सीओ:बीआर:101/169	19.06.2009
सीओ:बीआर:106:135 (दिनांक: 11.04.2014)	12.03.2014
बीसीसी:एचआरएम:110:2610 (दिनांक 07.05.2018)	07.05.2018

BANK OF BARODA

NOTIFICATION

Baroda, the 11th December, 2019

No. HO:HRM:111.—In exercise of the power conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 the Board of Directors of Bank of Baroda after consultation with Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes / changes the following regulations further to amend the Bank of Baroda Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1976 / 1982, namely :-

1. These Regulations may be called **Bank of Baroda Officer Employees' (Discipline & Appeal) Amendment Regulations, 2019.**

2. They shall come into force on the date of their publication in their publication in the Official Gazette.

3. In the Bank of Baroda Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1976 / 1982 and subsequent Notifications / Circulars issued from time to time wherever Regulation 6(3) is used, be amended and read as under:-

"Where it is proposed to hold an Inquiry, the Disciplinary Authority shall frame definite and distinct charges on the basis of the allegations against the Officer Employee and the articles of charge, together with a statement of allegations, list of documents relied on along with a copy of such documents and list of witness, if any, on which they are based, shall be communicated in writing to the Officer employee, who shall be required to submit, within such time as may be specified by the Disciplinary Authority (not exceeding 15 days), or within, such extended time as may be granted by the said Authority, a written statement of his defence:

Provided that under no circumstances, the extension of time for filing written statement of defence shall exceed **forty-five days** from the date of receipt of articles of charge".

4. The Sub-regulation 6 (21) (iii) be inserted after Sub-regulation 6 (21) (ii) as under in Bank of Baroda Officer Employees'(Discipline & Appeal) Regulations, 1976/1982 as amended from time to time:-

a) The Inquiring Authority should conclude the inquiry and submit his report within a period of six months from the date of receipt of order of his appointment as Inquiring Authority.

(b) Where it is not possible to adhere to the time limit specified in clause (a), the Inquiring Authority may record the reasons and seek extension of time from the disciplinary authority in writing, who may allow an additional time not exceeding six months for completion of Inquiry, at a time.

(c) The extension for a period not exceeding six months at a time may be allowed for any good and sufficient reasons to be recorded in writing by the Disciplinary Authority or any other Authority authorized by the Disciplinary Authority on his behalf.

C. MALOLAN, Head (HR Operations)

[ADVT.-III/4/Exty./348/19]

Footnote: The Principle Regulations were published in the Gazette of India vide Notification dated 01.10.1976 and subsequent amendments were published in Gazette of India as under:-

Notification / Circular No.	**Date**
CO:BR:72/125 (Date: 10.06.1980)	-
CO:BR:72/111 (Date: 15.05.1980)	-
CO:BR:85/29 (Date: 23.02.1993)	-
CO:BR:90/113 (Date: 23.07.1998)	-
CO:BR:91/32 (Date: 17.03.1999)	-
CO:BR:93/206 (Date: 22.11.2001)	29.09.2001
CO:BR:94/216 (Date: 12.09.2002)	13.07.2002
BCC:HRM:IL:101/6332 (Date: 28.05.2009)	-
CO:BR:101/169	19.06.2009
CO:BR:106:135 (Date 11.04.2014)	12.3.2014
BCC:HRM:110:2610 (Date 07.05.2018)	07.05.2018

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.12.16 13:52:27 +05'30'